

दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

खट्टे फलों और उत्पादों का निर्यात

3968. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर:

श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्रीमती रंजीता कोली:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एपीडा ने खट्टे फलों और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र और राजस्थान से जीआई टैग किए गए नागपुर के संतरे और जैविक साइट्रस उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): जी हां। साइट्रस फलों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। साइट्रस फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, वर्धा जिलों और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, आगर मालवा और शाजापुर जिलों की पहचान क्लस्टर के रूप में की गई है। निर्यात को बढ़ावा देने की निगरानी के लिए इन क्लस्टरों के कई जिलों में जिला स्तरीय क्लस्टर समितियां बनाई गई हैं। एपीडा ने प्रगतिशील किसान समूहों की पहचान करने और एफपीओ के निर्यात लिंकेज को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विकास केंद्रों और नाबार्ड के सहयोग से इन क्लस्टरों में संवेदीकरण बैठकें/कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित की गई हैं। एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत साइट्रस फलों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातकों को सहायता भी प्रदान करता है।

(ग) महाराष्ट्र और राजस्थान सहित भारत के पंजीकृत जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जीआई उत्पादों पर वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की हैं। वाराणसी में एक जीआई प्रोत्साहन कार्यक्रम और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। एपीडा क्रेता-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले आदि सहित अपने सभी प्रोत्साहन कार्यक्रमों द्वारा कृषि और खाद्य जीआई उत्पादों को भी बढ़ावा देता है।

दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात ऋण विकास योजना

3978. श्री विनोद कुमार सोनकर:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री भोला सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय का उच्च बीमा कवरेज, कम प्रीमियम और दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया के साथ उच्च निर्यात ऋण संवितरण प्राप्त करने हेतु नई योजना, निर्यात ऋण विकास योजना (एनआईआरवीआईके) शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का एक पोर्टल विकसित करने और निवेशकों को शुरू से अंत तक सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए निवेश निकासी प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एकल खिड़की ई-लॉजिस्टिक्स बाजार बनाने के लिए राष्ट्रीय संभार नीति जारी करने की योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): बजट भाषण 2020-21 में माननीय वित्त मंत्री ने निर्विक स्कीम की घोषणा की थी जिसके लिए वाणिज्य विभाग अपेक्षित अनुमोदनों को प्राप्त करने हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत है।

(ग) एवं (घ): बजट भाषण 2020-21 में, माननीय वित्त मंत्री ने एक निवेश निकासी प्रकोष्ठ (आईसीसी) स्थापित करने की योजना की घोषणा की है जो निवेशकों को पूर्व-निवेश सलाह, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा प्रदान करने 'एंड टू

एंड' सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। प्रकोष्ठ को एक ऑनलाईन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया था।

तत्पश्चात निवेश इंडिया के साथ, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार ने राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के रूप में एक पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया आरंभ की। देश में सभी विनियामक अनुमोदनों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक वन-स्टाप के रूप में परिकल्पित, एनएसडब्ल्यूएस [www.nsws.gov.in] की वेबसाइट को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 22 सितंबर, 2021 को आरंभ किया गया।

राष्ट्रीय पोर्टल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के मौजूदा आईटी पोर्टल का विघटन किए बगैर मौजूदा निकासी प्रणालियों को एकीकृत करता है।

वर्तमान में एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल पर 19 मंत्रालयों/विभागों और 11 राज्यों की सिंगल विंडो सिस्टम स्वीकृति शामिल है।

(ड.): वर्तमान में 'एकल विंडो ई-लॉजिस्टिक्स बाजार सृजन के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करने" के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ): उपरोक्त (ड.) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

, 01		
1.	17736: 2021	
, 02		
1	11107: 2009	-
2	11121: 2017	
3	13009: 2015	
4	13289: 2011	
5	13293: 2012	
6	13811: 2015	
7	16312: 2015/ 21103: 2014	
8	16316: 2016 21102: 2013	
9	16317: 2015/ 14785: 2014	
10	16441: 1: 2017/ 24802-1: 2014	1 1
11	16441: 2: 2016/ 24802-2: 2014	2 2
12	16442: 1: 2016/ 24801-1: 2014	1 1 -
13	16442: 2: 2016/ 24801-2: 2014	2 2 -
14	16442: 3: 2016/ 24801-3: 2014	3 3 -
15	18065: 2015	
16	20611: 2018	-
17	21101: 2014	

18	22483: 2020	
----	-------------	--

		, 03
1	11179: 1: 2017 1004-1: 2013	— 1 13
2	11179: 2: 2016 1004-2: 2013	— 7
3	IS/ISO13616: 1: 2020	1
4	IS/ISO13616: 2: 2020	2
5	14943: 1: 2014 8583 -1: 2003	1
6	14943: 2: 2001 8583-2:1998	2
7	14943: 3: 2007 8583-3:2003	3
8	15042: 1: 2021 9564-1:2017	1:
9	15042: 2: 2017 9564-2: 2014	2
10	15042: 4: 2019 9564-4: 2016	4:
11	15254: 2002 9019:1995	
12	15256: 1: 2011 11568-1: 2005	1
13	15256: 2: 2016 11568-2: 2012	2

14	15256: 4: 2013 11568-4: 2007	4
15	15413: 2018 4217: 2015	
16	15415: 2018 6166:2013	
17	15586: 2021 10962: 2019	(
18	15587: 1: 2005 15022-1: 1999	1
19	15587: 2: 2005 15022-2: 1999	2
20	15899: 2017 16609: 2012	
21	16005 1: 2019 13491-1: 2016	1
22	16005 2: 2019 13491-2: 2017	2
23	16006: 2016 10383: 2012	
24	16007: 2021 13492: 2019	8583 53 96
25	16198: 2017 9362: 2014	
26	16272: 2014 11649: 2009	
27	16273: 2014 18245: 2003	
28	16418: 2018 17442:2012	
29	16836: 2018 18774: 2015	
30	20022-1: 2013	

		1	20022
31	20022-2: 2013	2	
32	20022-3: 2013	3	20022
33	20022-4: 2004	20022	4
34	20022-5: 2013	5	20022
35	20022- 6: 2013	6	
36	320022 - 7: 2013	7	
37	20022 - 8: 2013	8	1
38	21188: 2018	—	
39	19038 : 2005		
40	22307: 2008		
41	12812-1: 2017		1:
42	12812-2: 2017		2:
43	12812-3: 2017		3:
44	12812-4: 2017		4:
45	12812-5: 2017		5:
46	20038: 2017		
47	20275: 2017		
			04

1	21001: 2018 21001	â€” â€”
, 09		
1	4043: 2016	
2	17100: 2015	
3	18587: 2017	—
4	18841: 2018	
5	20108: 2017	
6	20109: 2016	
7	20228: 2019	
8	20252: 2019	
9	20488: 2018	
10	20539: 2019	,
11	20771: 2020	
12	44000: 2019	

, 10		
1	18295- 1: 2017	1:
2	18295- 2: 2017	2:
, 13		
1.	25639- 2: 2008	2:
, 14		
1.	17482: 2020	

, 16		
1.	17679: 2016 17679: 2016	

दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

लौह अयस्क का निर्यात

4009. डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) स्थानीय आवश्यकता के लिए देश में लौह अयस्क की वर्तमान उपलब्धता कितनी है;
(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;
(ग) क्या स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए लौह अयस्क के निर्यात को रोकने की कोई नीति है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : देश में वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 (सितंबर तक) के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन क्रमशः 246.08 एमटी (मिलियन टन), 204.48 एमटी और 123.87 एमटी था।

(ख): लौह अयस्क का निर्यात विभिन्न देशों जैसे चीन, इंडोनेशिया, ओमान, दक्षिण कोरिया आदि को भी किया जाता है। देश में उत्पादित लौह अयस्क मुख्य रूप से स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है।

(ग) और (घ): सरकार ने पिंड एवं परिष्कृत मिश्रित निम्न श्रेणी (एफइ अंश 58% से कम) लौह अयस्क को छोड़कर सभी प्रकार के लौह अयस्क पर 30% का निर्यात शुल्क अधिरोपित किया है। सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता को प्राथमिकता देने के लिए 31.03.2021 से आगे जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्क के निर्यात के लिए दीर्घकालिक करार का विस्तार भी नहीं किया है।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए
माल और सेवाओं का निर्यात

4028 डॉ.टी.आर.पारिवेन्दर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत इस वित्तीय वर्ष के दौरान माल और सेवाओं के निर्यात में सर्वकालिक उच्च स्तर पर है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य देशों को निर्यात की गई माल और सेवाओं की कुल संख्या कितनी है और इन निर्यातों के माध्यम से अर्जित कुल आय उत्पाद-वार और देश-वार कितनी है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): 2020-21 से भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) इस वित्तीय वर्ष, 2021-22 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान इसी अवधि (अप्रैल-अक्टूबर) की तुलना में अधिक है, जो नीचे दिया गया है:-

वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर)	निर्यात (मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में)
2020-21	263.9
2021-22*	368.7

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई (*अनंतिम)

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अक्टूबर माह 2021 में व्यापारिक वस्तुओं का 35.64 अमेरिकी बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात हासिल किया गया है।

(ग): 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में व्यापारिक उत्पादों के निर्यात का मूल्य और वृद्धि **अनुलग्नक-I** पर है और 2021-22 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में शीर्ष 30 देशों को भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य और वृद्धि **अनुलग्नक-II** पर है।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 4028 के भाग (क) से (ग) उत्तर हेतु संदर्भित विवरण।

2021-22 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान व्यापारिक उत्पादों के निर्यात का मूल्य और वृद्धि

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्र. सं.	व्यापारिक उत्पाद	अप्रैल-नवम्बर, 2020-21	अप्रैल-नवम्बर, 2021-22
1	इंजीनियरिंग वस्तुएं	45875.55	71973.71
2	पेट्रोलियम उत्पाद	15251.22	37850.17
3	रत्न और आभूषण	14308.44	25912.29
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	13827.23	18720.20
5	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	15868.80	15866.42
6	सूती धागे/कपड़ा/मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि।	5812.90	9849.14
7	सभी वस्त्रों का आरएमजी	7006.02	9656.47
8	इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	6159.50	9347.35
9	प्लास्टिक और लिनोलियम	4903.27	6415.15
10	चावल	5341.07	5937.89
11	समुद्री उत्पाद	3980.78	5398.19
12	मानव निर्मित यार्न/कपड़ा/मेडअप्स आदि।	2147.24	3580.36
13	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	2316.18	3193.33
14	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	2015.13	2771.81
15	मांस, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद	2371.19	2665.38
16	मसाले	2557.91	2655.95
17	लौह अयस्क	2799.97	2412.04
18	सिरेमिक उत्पाद और कांच की बनी वस्तुएं	1835.55	2262.87
19	फल और सब्जिया	1536.40	1720.40
20	अनाज विनिर्मिति और विविध प्रसस्कृत वस्तु	1127.59	1418.24
21	हस्तशिल्प, हाथ से बने कालीन को छोड़कर	991.48	1382.57
22	कालीन	894.89	1193.56
23	तिलहन	761.82	673.02
24	खली	713.29	626.56
25	काँफी	460.03	623.61
26	तंबाकू	574.96	611.24
27	अन्य अनाज	338.19	590.17
28	चाय	501.52	501.52
29	फर्श कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	203.71	315.39
30	काजू	243.01	302.18
31	अन्य	11439.18	16987.84
कुल निर्यात		174164.06	263415.05

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 4028 के भाग (क) से (ग) उत्तर हेतु संदर्भित विवरण।

2021-22 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान शीर्ष 30 देशों का भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य और वृद्धि

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

क्रं सं.	देश/गंतव्य	अप्रैल-नवम्बर 2020-21	अप्रैल-नवम्बर 2021-22
1	संयुक्त राज्य अमरीका	31321.58	48715.46
2	संयुक्त अरब अमीरात	9671.02	17331.71
3	चीन लोक गणराज्य	13636.91	15630.37
4	बांग्लादेश पी आर	5062.14	8839.53
5	हांगकांग	6374.10	7527.59
6	सिंगापुर	5479.52	7347.46
7	यूनाइटेड किंगडम	4565.40	6779.07
8	नीदरलैंड	3827.53	6574.97
9	बेल्जियम	2827.88	6302.65
10	जर्मनी	4873.94	6101.25
11	नेपाल	3534.57	5697.25
12	सऊदी अरब	3594.62	5665.60
13	इटली	2607.07	5288.22
14	इंडोनेशिया	2668.24	5124.48
15	तुर्की	2337.78	5055.41
16	कोरिया गणराज्य	2881.29	4793.11
17	ऑस्ट्रेलिया	2454.71	4559.25
18	मलेशिया	3963.29	4476.05
19	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	2988.21	4437.95
20	ब्राजिल	2396.45	4195.67
21	जापान	2539.97	4056.21
22	दक्षिण अफ्रीका	2164.27	4055.05
23	फ्रांस	2594.88	3818.18
24	थाईलैंड	2328.51	3484.33
25	नाइजीरिया	1771.99	3096.19
26	श्रीलंका डी एस आर	2092.04	3034.48
27	इजराइल	1611.23	2999.09
28	स्पेन	1884.05	2921.21
29	मेक्सिको	1912.56	2863.84
30	कनाडा	1798.21	2354.76
उपरोक्त देशों का कुल		137763.97	213126.39
% हिस्सा		79.10	80.91
भारत द्वारा कुल निर्यात		174164.06	263415.05

दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्यान्न बाजार

4089.श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) आज की तारीख के अनुसार वैश्विक खाद्यान्न बाजार में भारत का हिस्सा कितना है;
- (ख) क्या सरकार खाद्यान्न के घटते निर्यात के कारण वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए तैयार नहीं है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विश्व व्यापार संगठन की मुक्त बाजार नीति के अंतर्गत वैश्विक बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) 2020 में निर्यातित मूल्यों के आधार पर विश्व खाद्यान्न बाजार में भारत की हिस्सेदारी 6.9% है (स्रोत: यूएन कॉमट्रेड और आईटीसी आंकड़ों पर आधारित आईटीसी ट्रेड मैप गणना)।

(ख) और (ग) विशाल घरेलू खपत आधार और उच्च घरेलू कीमतों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय कीमतों, जैसी चुनौतियों के बावजूद, भारत दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक और गेहूं के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। कोविड-19 अवधि के दौरान, भारत ने खुद को खाद्यान्न और अन्य खाद्य पदार्थों के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), एक स्वायत्त संगठन को खाद्यान्न के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी स्कीम "एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन स्कीम" के तहत

खाद्यान्न के निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है।स्कीम के विभिन्न घटकों अर्थात अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत सहायता प्रदान की जाती है। एपीडा के तत्वावधान में चावल और पोषक अनाज के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) स्थापित किए गए हैं।ईपीएफ इन उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित विकास अभिज्ञात एवं पूर्वानुमान करने, निर्यात के सम्पूर्ण उत्पादन / आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों तक पहुंचने और आवश्यक नीतिगत अंतर्क्षेप के लिए अनुशासन करने और निर्यात प्रोत्साहन के अन्य उपायों के लिए प्रयास करता है।

(घ) खाद्यान्न सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना एक सतत प्रक्रिया है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक व्यापक कृषि निर्यात नीति (एईपी) पेश की है। वाणिज्य विभाग ने राज्य/जिला स्तर पर एईपी को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं, राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियां और क्लस्टर स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएँ भी तैयार की गई हैं।

निर्यातकों के साथ बातचीत के लिए किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को एक मंच उपलब्ध कराने के लिए एपीडा द्वारा एक किसान कनेक्ट पोर्टल स्थापित किया गया है। निर्यात-बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और उनका दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम का भी आयोजन किया गया है।

वाणिज्य विभाग कई अन्य स्कीमों जैसे कि निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम आदि के माध्यम से खाद्यान्न के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए
आयातकों/निर्यातकों को प्रोत्साहन

4091 श्रीमती लॉकेट चटर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में आयातकों/निर्यातकों को कोई व्यापार सुविधा कार्यक्रम है या प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्कीमों जैसे अग्रिम प्राधिकार-पत्र, राज्य और केन्द्रीय करों एवं उपकरणों की छूट (आरओएससीटीएल), राज्य उपकरणों की छूट (आरओएसएल), शुल्क वापसी स्कीम और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम के अंतर्गत शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 'वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य कार्य स्कीम' प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत विनिर्माण इकाई सीमाशुल्क के भुगतान को विलम्बित रखते हुए बिना किसी ब्याज देनदारी के वस्तुओं (निविष्टियों और पूंजीगत माल दोनों) का आयात कर सकती है। यदि वस्तुओं का ऐसे प्रचालनों के परिणामस्वरूप निर्यात किया जाता है तो किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना है। आयात शुल्क का तब ही भुगतान करना होगा जब परिणामी वस्तुओं की घरेलू बाजार (एक्स-बांडिंग) में निकासी की जाती है। इसके अतिरिक्त, वस्तुओं के घरेलू उत्पादन हेतु वस्तुओं के आयात अथवा सेवा प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दरों पर वस्तुओं का आयात) नियम, 2017 के द्वारा रियायती शुल्क दरों का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 01.07.2017 से प्रारंभ की गई।

दिनांक 22 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए
रबड़ उत्पादकों के लिए राजसहायता

4110 . श्री एंटो एन्टोनी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में रबड़ उत्पादकों को दी गई राजसहायता के संबंध में कोई आंकड़े मौजूद हैं;
- (ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान देश में रबड़ उत्पादकों को प्रदान की गई राजसहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने रबड़ उत्पादकों के लिए राजसहायता रोक दी है/बंद कर दी है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ड.) क्या सरकार की रबड़ किसानों के लिए पुनः राजसहायता शुरू करने की योजना है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में रबड़ उत्पादकों को दी जाने वाली राजसहायता, वर्ष-वार/राज्य-वार और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

(ग): सरकार ने रबड़ उत्पादकों के लिए राजसहायता रोकी/बंद नहीं की है।

(घ) से (च): उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

22.12.2021 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4110 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध - I

राज्यवार राजसहायता संवितरण का विवरण (रुपये में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केरल	16,83,28,426	13,46,36,154	13,85,70,220	14,18,49,597	11,73,60,767	6,60,12,608	73,57,040	4,67,06,924	29,08,235	7,99,45,045
तमिलनाडु	61,73,899	51,30,714	52,80,190	53,97,174	45,08,303	25,45,627	2,84,342	18,08,283	1,12,470	30,86,592
कर्नाटक	1,29,74,234	1,10,91,432	1,18,93,696	1,26,92,709	1,07,61,550	61,10,703	6,86,291	43,63,945	2,71,544	74,58,053
गोवा	3,50,967	2,84,820	2,93,962	3,00,488	2,48,212	1,39,560	15,686	99,989	6,281	1,72,768
महाराष्ट्र	4,72,012	4,52,067	5,28,272	5,95,817	5,31,153	3,19,012	35,109	2,24,553	14,145	3,96,350
उड़ीसा	2,34,602	1,90,395	2,88,401	4,74,590	5,82,926	3,75,675	47,257	3,01,663	18,842	5,23,385
पश्चिम बंगाल	2,09,020	1,79,093	2,04,737	2,19,240	1,89,195	1,09,971	12,682	80,500	5,067	1,40,828
आंध्र प्रदेश	1,26,348	1,23,513	1,51,657	1,62,496	1,39,127	84,215	9,812	62,705	3,879	1,06,710
त्रिपुरा	11,17,51,492	6,28,63,035	6,64,34,107	8,62,87,922	7,32,24,344	3,85,87,738	1,46,08,560	1,53,27,477	4,51,20,285	5,10,96,971
असम	6,60,14,490	4,02,21,019	4,46,29,162	5,95,34,873	4,98,96,954	2,64,02,380	99,87,132	1,03,96,928	3,04,73,343	3,41,95,939
मेघालय	2,05,80,784	1,19,40,543	1,29,15,416	1,69,82,870	1,39,25,991	74,13,955	28,16,129	29,32,213	86,17,711	98,37,959
नागालैंड	1,18,19,869	80,84,137	1,11,56,127	1,63,62,176	1,31,35,768	68,70,172	25,72,941	26,82,759	78,63,067	88,42,909
मणिपुर	56,32,636	32,30,069	34,95,307	45,46,007	36,98,245	19,18,280	7,19,177	7,55,567	22,16,435	24,90,585
मिजोरम	24,52,363	17,82,054	29,32,148	40,80,487	33,05,391	18,78,942	7,04,465	7,33,954	21,47,831	24,10,626
अरुणाचल प्रदेश	44,02,121	27,79,626	32,95,176	46,72,444	49,67,118	26,84,203	10,00,444	10,44,646	30,71,346	34,70,827

स्रोत: रबड़ बोर्ड

22.12.2021 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4110 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुबंध-II

लाभार्थियों को संवितरित राजसहायता का विवरण (संख्या में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केरल	40,399	32,313	33,257	34,044	28,166	15,843	1,766	11,210	698	19,187
तमिलनाडु	1,482	1,231	1,267	1,295	1,082	611	68	434	27	741
कर्नाटक	3,114	2,662	2,855	3,046	2,583	1,467	165	1,047	65	1,790
गोवा	84	68	71	72	60	33	4	24	2	41
महाराष्ट्र	113	108	127	143	127	77	8	54	3	95
उड़ीसा	56	46	69	114	140	90	11	72	5	126
पश्चिम बंगाल	50	43	49	53	45	26	3	19	1	34
आंध्र प्रदेश	30	30	36	39	33	20	2	15	1	26
त्रिपुरा	19,157	10,776	11,389	14,792	12,553	6,615	2,504	2,628	7,735	8,759
असम	11,317	6,895	7,651	10,206	8,554	4,526	1,712	1,782	5,224	5,862
मेघालय	3,528	2,047	2,214	2,911	2,387	1,271	483	503	1,477	1,686
नागालैंड	2,026	1,386	1,913	2,805	2,252	1,178	441	460	1,348	1,516
मणिपुर	966	554	599	779	634	329	123	130	380	427
मिजोरम	420	305	503	700	567	322	121	126	368	413
अरुणाचल प्रदेश	755	477	565	801	852	460	172	179	527	595

स्रोत: रबड़ बोर्ड

